

बिहार सरकार
कला, संस्कृति एवं युवा विभाग

क्रमांक - 2/09 - 51/09 आदेश-- 60

युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक 6-3/2009-SP-iv (PYKKA) दिनांक 6.5.2009 में निहित प्रावधान के आसपास मंच पर पंचायत युवा क्रीडा और खेल अभियान के सफल संचालन हेतु पंचायत स्तरीय स्थापना समिति का गठन निम्न रूपण किया जाता है -

ग्राम पंचायत स्तर पर "पाईका" संचालन समिति

- | | |
|---|--------------|
| 1. पंचायत के मुखिया | - अध्यक्ष |
| 2. पंचायत सचिव | - सदस्य |
| 3. "पाईका" केन्द्र से संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक | - सदस्य |
| 4. क्रीडाश्री / स्थानीय शारीरिक शिक्षा शिक्षक | - सदस्य सचिव |
| 5. स्थानीय नहर युवा केन्द्र के युवा क्लब के सदस्य | - सदस्य |
| 6. केन्द्र से संबंधित पंचायत वार्ड के सदस्य | - सदस्य |
| 7. संबंधित पंचायत की एक महिला वार्ड सदस्य | - सदस्य |
| 8. संबंधित पंचायत के अनुसूचित जाति/जनजाति के प्रतिनिधि | - सदस्य |
| 9. संबंधित पंचायत के सभी महाविद्यालय/उच्च विद्यालय के प्राचार्य/प्रधानाध्यापक | - सदस्य |
| 10. संबंधित पंचायत के सभी विद्यालय के शारीरिक शिक्षा शिक्षक | - सदस्य |

ग्राम पंचायत स्तर पर सामूहिक रूप से खेल गतिविधि का संचालन "पाईका" केन्द्र से संबंधित क्रीडाश्री द्वारा किया जायेगा। भारत सरकार से प्राप्त राशि वार्षिक खरीद अनुदान एवं वार्षिक प्रचलनात्मक अनुदान से पाईका केन्द्र का संचालन किया जायेगा। उक्त समिति प्रखंड स्तरीय "पाईका" प्रतिस्पर्धा के लिए पंचायत से दल तैयार करने एवं उन्हें भेजने के संबंध में संबंधित क्रीडाश्री/स्थानीय शारीरिक शिक्षक के कार्यों की समीक्षा करेगी।

"पाईका" संचालन समिति का बैठक प्रत्येक माह आयोजित की जायेगी।

(हेमचन्द्र प्रसाद)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापक- 1136 /

पटना, दिनांक 22 अक्टूबर, 2009

प्रतिलिपि - सभी संबंधित पंचायत स्तर पाईका संचालन समिति के अध्यक्ष/सदस्यों को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यों प्रेषित।

(हेमचन्द्र प्रसाद)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापक- 1136

पटना, दिनांक-

22/10/09

प्रतिलिपि- सभी उप निदेशक शांति/अधीक्षक शांति/जिला खेल पदाधिकारी को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यों प्रेषित।

उन्से अनुरोध है कि वे अपने स्तर से जिले के सभी संबंधितों को पत्र की छापा प्रेषित करके उपलब्ध करायेगे।

सरकार के संयुक्त सचिव।

बिहार सरकार
कला, संस्कृति एवं युवा विभाग

पत्रांक/०१ - ५१/०९ आदेश - ६१

युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार, के पत्रांक ६-३/२००९-SP-iv (PYKKA) दिनांक ६.५.२००९ में निहित प्रावधान के आलाक में पंचायत युवा क्रीडा और खेल अभियान के सफल संचालन हेतु प्रखंड स्तरीय कार्यकारी समिति का गठन निम्न रूपेण किया जाता है -

प्रखंड स्तरीय "पाईका" कार्यकारी समिति

- | | | |
|---|---|------------|
| १. प्रखंड प्रमुख | - | अध्यक्ष |
| २. उप प्रमुख | - | उपाध्यक्ष |
| ३. सर्वाधिक जनसंख्या वाले पंचायत के मुखिया | - | सदस्य |
| ४. प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी | - | सदस्य |
| ५. प्रखंड के सभी महाविद्यालय/उच्च विद्यालय के प्राचार्य/
प्रधानाध्यापक | - | सदस्य |
| ६. प्रखंड के सभी नेहरू युवा केन्द्र क्लब के प्रतिनिधि | - | सदस्य |
| ७. प्रखंड के सभी क्रीडाश्री | - | सदस्य |
| ८. अंचल अधिकारी/प्रखंड विकास पदाधिकारी | - | सदस्य सचिव |
| ९. बाल विकास परियोजना पदाधिकारी | - | सदस्य |
| १०. प्रखंड कल्याण पदाधिकारी | - | सदस्य |
| ११. अनुसूचित जाति/जनुजाति के एक पंचायत मुखिया
(प्रखंड प्रमुख द्वारा नामित) | - | सदस्य |
| १२. एक महिला मुखिया (प्रखंड प्रमुख द्वारा नामित) | - | सदस्य |

प्रखंड स्तर कार्यकारी समिति जिला स्तरीय पाईका प्रतियोगिता के लिए पाईका केन्द्र के संबंध में क्रीडाश्री/उच्च विद्यालय शारीरिक शिक्षा शिक्षक द्वारा टीम भर्जन तथा उनके कार्यों की समीक्षा करेगी। प्रखंड स्तर पाईका केन्द्र के संचालन के लिए भारत सरकार से वार्षिक खरीद अनुदान तथा वार्षिक प्रचलनात्मक अनुदान प्राप्त होगा। प्रखंड स्तर पाईका कार्यकारी समिति प्रखंड पाईका केन्द्र का संचालन एवं अनुश्रवण करेगी। प्रखंड स्तर पाईका कार्यकारी समिति की बैठक प्रतिमाह आयोजित की जायेगी।

(हेमचन्द्र प्रसाद)

सरकार के संयुक्त सचिव।

पत्रांक: ११३७/

पटना, दिनांक २२ अक्टूबर, २००९

प्रतिलिपि :- सभी संबंधित प्रखंड स्तरीय कार्यकारी समिति अध्यक्ष एवं सदस्यों को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यांश प्रेषित।

(हेमचन्द्र प्रसाद)

सरकार के संयुक्त सचिव।